

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/174

जयपुर, दिनांक : 3/4/20

--: परिपत्र :-

निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्य जन में अलग-अलग पदों पर निदेशालय में पदस्थापित विभागीय/अन्यसेवा के अधिकारियों /कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	पद नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक/ सहायक निदेशक (विभागीय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त/ निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव
2.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (विभागीय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक/सहायक निदेशक (यूनिट प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त/ निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन
3.	क्लर्क ग्रेड-II/ क्लर्क ग्रेड-I/ सहायक कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक/ सहायक निदेशक (यूनिट/ प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त/ निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन
	वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी-I एवं/ कनिष्ठ लेखाकार/ प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर/ सूचना सहायक / सांख्यिकी अधिकारी / सहायक सांख्यिकी अधिकारी / संगणक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	वित्तीय सलाहकार/ अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट/ प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग/ निदेशक, कोष एवं लेखा एवं सांख्यिकी विभाग

(जे.सी.महान्ति)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/175-300

जयपुर, दिनांक : 3-4-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग/सांख्यिकी विभाग/प्रौद्योगिक विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/सांख्यिकी विभाग/प्रौद्योगिक विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/सामाजिक सुरक्षा/अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेषयोग्यजन, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/निदेशक सांख्यिकी विभाग जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (लेखा/सांख्यिकी), यूनिट प्रभारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेषयोग्यजन, राजस्थान जयपुर।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन, मु.।
10. संबन्धित यूनिट/प्रशाखा प्रभारी/प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन/सामान्य)/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
11. संस्थापन प्रशाखा (पी. 1, 2, 3, 4 एवं 5)/डीपीसी/जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबन्धित श्री/श्रीमती .....सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन, मुख्यावास।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय बेब साईड पर संधारित किये जाने हेतु
14. आदेश पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/ 301

जयपुर, दिनांक 3-4-2018

--: परिपत्र :-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(7)( )ए.सी.आर/सान्याअवि/2010/1444-1515 जयपुर दिनांक 07.01.2011 का अतिक्रमण किया जाकर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन के अलग-अलग पदों पर जिलास्तरीय कार्यालय में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं.	पद नाम अधिकारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1.	उपनिदेशक /सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव
2.	सहायक निदेशक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव
3.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता /विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव
4	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	(कार्यालयाध्यक्ष)	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव
5	अधीक्षक गृह /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव
6	क्लर्क ग्रेड-II/क्लर्क ग्रेड-I/ सहायक कार्यालय अधीक्षक/ कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी / छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-I, छात्रावास अधीक्षक -II/ केयर टेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	(कार्यालयाध्यक्ष)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन

7	लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार / सूचना सहायक / नर्स सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	प्रभारी अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन	आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग / निदेशक, कोष एवं लेखा / निदेशक, चिकित्सा विभाग
---	--	-----------------	--	--

(जे.सी. महान्ति)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर / सान्याअवि / 2018 / 302-427

जयपुर, दिनांक 3-4-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र) शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन, जयपुर।
6. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन .....
7. प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन / सामान्य) / लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
8. संस्थापन प्रशाखा (पी. 1 से पी-5) / पदोन्नति प्रशाखा / जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सम्बंधित श्री / श्रीमती ..... उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन .....
- ✓ 10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु
11. आदेश पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव